न्यायालय, श्री राकेश कुमार–III, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।

उपस्थितिः– राकेश कुमार–III,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।

सत्र वाद संख्याः–341 / 2018

रजिस्ट्रेशन नं0:–341/2018

निर्णय की तिथिः–13.07.2026

➢ प्राथमिकी सुपौल थाना कांड संख्या–183 / 2016, दिनांक 23.03.2016		
सूचक	नन्द किशोर चौधरी, पिता–स्व0 हरिहर चौधरी, साकिन–सुपौल नगर परिषद् वार्ड नं0–24, थाना+जिला–सुपौल।	
राज्य की ओर से	मो0 अब्बु जफर, विद्वान अपर लोक अभियोजक	
अभियुक्तगण	**1.** अमित कुमार, उम्र–36 वर्ष, पिता–शिवचन्द्र ठाकुर **2.** शिवचन्द्र ठाकुर, उम्र–65 वर्ष, पिता–स्व0 अनुप ठाकुर **3.** विशाल ठाकुर, उम्र–30 वर्ष, पिता–शिवचन्द्र ठाकुर **4.** भोला ठाकुर, उम्र–27 वर्ष, पिता–शिवचन्द्र ठाकुर **5.** प्रदीप ठाकुर, उम्र–46 वर्ष, पिता–रामचन्द्र ठाकुर **6.** मीरा देवी, उम्र–60 वर्ष, पिता–शिवचन्द्र ठाकुर सभी साकिन–नगरपरिषद् वार्ड नं0–25, थाना+जिला–सुपौल।	
बचाव पक्ष की ओर से	विद्वान अधिवक्ता, श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर	

FORM-B

➢ घटना की तिथि	23.03.2016
➢ प्राथमिकी की तिथि	23.03.2016
➢ आरोप पत्र की तिथि	23.06.2016
➢ आरोप गठन की तिथि	22.05.2019
➢ साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	03.05.2019
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	13.07.2026
➢ निर्णय की तिथि	13.07.2026

अभियुक्तों का विवरण

SL. No.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	दोषसिद्धि या दोष मुक्ति	दिया गया दंड	द0प्र0स0 की धारा–428 के लिए विचारण के दौरान कारा में बितायी गयी अवधि
1.	अमित कुमार	21.06.2016	21.06.2016	धारा–147, 149, 323, 307, 379 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	शिवचन्द्र ठाकुर	24.03.2016	25.04.2016		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	विशाल ठाकुर	21.06.2016	21.06.2016		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	भोला ठाकुर	21.06.2016	21.06.2016		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	प्रदीप ठाकुर	24.03.2016	25.04.2016		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	मीरा देवी	21.06.2016	21.06.2016		दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं

Form-C

अभियोजन साक्षीः–

क0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकृति
अ0 साक्षी–01	चंदन कुमार	स्वतंत्र साक्षी
अ0 साक्षी–02	संदीप कुमार	स्वतंत्र साक्षी
अ0 साक्षी–03	राजेन्द्र चौधरी	जख्मी साक्षी
अ0 साक्षी–04	विवेक कुमार	सूचक का पुत्र
अ0 साक्षी–05	मनोज जायसवाल	जख्मी साक्षी

Form-D

बचाव साक्षीः–

क0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकृति
––	––	––

Form-E

न्यायालय साक्षी, यदि कोईः–

क0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकृति
––	––	––

परिवादी/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची।

अभियोजन की ओर से प्रदर्श सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण

बचाव–पक्ष की ओर से प्रदर्श सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

न्यायालय प्रदर्श सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

तात्विक प्रदर्श सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
––	––	––

::निर्णयः:

01. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण यथा 1. अमित कुमार, 2. शिवचन्द्र ठाकुर, 3. विशाल ठाकुर, 4. भोला ठाकुर, 5. प्रदीप ठाकुर एवं 6. मीरा देवी के विरुद्ध धारा–147, 149, 323, 307, 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप के लिए विचारण किया गया है।

02. यह मामला सुपौल थाना कांड संख्या–183/2016 अन्तर्गत धारा–147, 149, 323, 307, 379 भा0द0वि0 के तहत दर्ज है। लिखित आवेदन में संक्षेप में कथन है कि दिनांक 23.03.2016 को रात्रि में करीब 10:15 बजे सूचक अपने घर के बाहर था तभी अमित ठाकुर संध्या से ही गाली–गलौज कर रहा था एवं मनोज जायसवाल से दारू पीने के लिए रूपया मांग रहा था, उसे कई बार समझाकर लौटा दिया परन्तु वह जाता था एवं वापस आ जाता था। उसे पकड़कर घर पहुँचाने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक 1. शिवचन्द्र ठाकुर, 2. प्रदीप ठाकुर, 3. विशाल ठाकुर, 4. भोला ठाकुर, 5. मीरा देवी एवं उसके दियाद के 8–10 आदमी नाजायज मजमा बनाकर नाला के चाली का बॉस निकालकर मनोज जायसवाल को जान मारने के नियत से शिवचन्द्र ठाकुर सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया। मुकेश कुमार को प्रदीप ठाकुर बॉस से मारा, जिससे उसका दॉया हाथ का अंगूठा टूट गया। अमित ठाकुर बॉस से सूचक के सिर पर मारा, जिससे सूचक का सिर फट गया। विशाल ठाकुर एवं भोला ठाकुर, ललन कुमार एवं राजेन्द्र चौधरी को मारपीट किया एवं मनोज का सोने का चेन एवं पॉकेट से 8000/–रूपया अमित ठाकुर छीन लिया। तत्काल इनलोगों को अगल–बगल के लोग उठाकर सदर अस्पताल सुपौल में भर्ती कराया, इस बीच थाना में मोबाईल से सूचना दिए गस्ती गाड़ी के आने के बावजूद भी वे लोग सूचक के घर पर दौड़कर पहुँच गए।

अन्वेषण, आरोप पत्र, संज्ञान

03. उपरोक्त सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर सुपौल थानाध्यक्ष के द्वारा प्रथम इत्तिलाई सूचना मानते हुए सुपौल थाना कांड संख्या–183/2016 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 323, 325, 307, 384, 506, 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज करते हुए अनुसंधान. कर्त्ता के द्वारा अनुसंधानोपरांत अभियुक्तगण 1. अमित ठाकुर, 2. शिवचन्द्र ठाकुर, 3. विशाल ठाकुर, 4. भोला ठाकुर, 5. प्रदीप ठाकुर एवं 6. मीरा देवी के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–296/2016 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 323, 325, 307, 384, 506, 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल के द्वारा अभियुक्तगण 1. अमित कुमार, 2. शिवचन्द्र ठाकुर, 3. विशाल ठाकुर, 4.

भोला ठाकुर, 5. प्रदीप ठाकुर एवं 6. मीरा देवी के विरुद्ध धारा–147, 148, 149, 323, 325, 307, 384, 506, 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान ले लिया गया।

04. प्रस्तुत वाद दिनांक 18.08.2018 के आदेश से सत्र न्यायालय में दौरा–सुपूर्द किया गया। प्रस्तुत वाद स्थानान्तरण के क्रम में विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को अंतोगत्वा प्राप्त हुआ।

आरोप

05. प्रस्तुत वाद में दिनांक 26.03.2026 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध ध ाारा–147, 149, 323, 307, 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तों ने सुनकर निर्दोष बताया और वाद विचारण का दावा किया।

06. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे है अथवा नहीं?

साक्ष्य का विश्लेषण (APPRECIATION OF EVIDENCE)

07. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में कुल–05 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जो अभियोजन साक्षी संख्या–1 चंदन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–2 संदीप कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–3 राजेन्द्र चौधरी, अभियोजन साक्षी संख्या–4 विवेक कुमार (सूचक के पुत्र) एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 मनोज जायसवाल है।

बचाव–पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 चंदन कुमार हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। पुलिस में मैंने बयान नहीं दिया है। सभी मुदालह को पहचानते है।

अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने पुलिस में घटना का समर्थन किया था तथा मुदालह से मेल में आकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

आगे बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कथन किया है कि मुदालह लोग मेरे पड़ोसी हैं इस कारण पहचानते हैं। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 संदीप कुमार हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय मैं नहीं था। दूसरे से मुझे घटना की जानकारी हुई थी। सभी मुदालह को पहचानते है। आज अमित कुमार, भोला कुमार, शिवचन्द्र ठाकुर, प्रदीप ठाकुर आये है।

अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने पुलिस में घटना का समर्थन किया था तथा मुदालय के मेल में आकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

आगे बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कथन किया है कि सुपौल के रहने के कारण चेहरे से सभी मुदालय को पहचानते है। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 राजेन्द्र चौधरी, जो प्रस्तुत काण्ड के जख्मी साक्षी है तथा इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दो तीन साल पहले की है। हमको अमित वगैरह से मारपीट हुआ था। घटना में नंदकिशोर चौधरी, मनोज चौधरी, मुकेश और ललन जख्मी हुए थे। सभी का ईलाज सुपौल सदर अस्पताल में ही हुआ था। सोना का चैन भी छीन लिया था। सभी मुदालहों को पहचानते है।

आगे बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कथन किया है कि घटनास्थल पर सभी मुदालह बारी–बारी से आये थे। किसके हाथ में कौन हथियार था और कौन किसको मारा यह याद नहीं है। चैन कौन छीना था यह नहीं जानते हैं। सभी मुदालहों को पड़ोसी होने के कारण जानते हैं। यह केश नन्दकिशोर चौधरी किया था, जिसका मृत्यु दो साल पहले हो गई। जब सूचक जीवित था उसी समय इस केश में मेल–मिलाप हो गया था, जिसपर सूचक का हस्ताक्षर है। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 विकेक कुमार जो मृत सूचक के पुत्र हैं तथा इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नन्दकिशोर चौधरी मेरे पिताजी थे। उनकी मृत्यु दिनांक 31.05.2017 को हो गई। पिताजी के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति मैं न्यायालय में दाखिल किया हूँ, जिसकी मूल प्रति मेरे पास है। सभी अभियुक्तों को पहचानते हैं।

आगे बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कथन किया है कि मेरे पिताजी जब जीवित थे उसी समय यह राजीनामा आवेदन दाखिल किया गया था। मैं भाई में अकेला हूँ। अब आगे मैं मुकदमा लड़ना नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–5 मनोज जायसवाल, जो प्रस्तुत काण्ड के जख्मी साक्षी हैं तथा इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना आज से तीन–चार वर्ष पहले रात्री 10–11 बजे रात की घटना है। हो–हल्ला हुआ था। मैं देखने के लिए निकला। मुझे, मेरे भाई मुकेश, स्व0 नन्दकिशोर चौधरी, ललन कुमार, राजेन्द्र चौधरी को चोट लगी थी। मुदालह को पहचानते हैं। जो नहीं आया है उसे भी पहचानते हैं। पुलिस को बयान दिया था। बयान में क्या दिया था याद नहीं है।

अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के समक्ष कहे थे कि दिनांक 23.03.2016 को शाम में अमित ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, शिवचन्द्र ठाकुर मेरे घर पर आकर रंगदारी में होली का खर्चा मांगने लगा और नहीं देने पर गाली–गलौज करने लगा और धमकी देकर चला गया। उसी दिन रात सवा 10 बजे अमित ठाकुर, शिवचन्द्र ठाकुर और प्रदीप ठाकुर आकर होली का खर्चा मांगने लगा। वादी नन्दकिशोर चौधरी के समझाने पर नाली के कांटी लगे बॉस से उन तीनों ने नन्दकिशोर के सर पर मारा। जब मैं राजेन्द्र चौधरी, मुकेश, ललन, बचाने गये तो विशाल ठाकुर, भोला ठाकुर और मीरा देवी भी हमलोग को जान मारने के नीयत से सर पर मारने लगा, जिससे हम सभी बुरी तरह जख्मी हो गए।

मेरे गले के सोने का चैन तथा पॉकेट में 8 हजार रूपया अमित ठाकुर छीन लिया। ऐसी बात नहीं है कि मुदालह के मेल में आकर सच्ची बात को छुपाने के लिए झूठी गवाही दिया हूँ।

आगे बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कथन किया है कि घटना 10–11 बजे रात्री का है। रात अंधेरी थी। उस भीड़ में किसके हाथ में क्या–क्या था हम नहीं देख थे। भीड़ में हमको किसने मारा हम नहीं देख सके थे। उसी हो–हल्ला में चैन तथा पैसा गिर गया था जो बाद में मिल गया था। केश के दोनों पक्षों में सुलह हो गया है। इसके अलावा अन्य कोई उल्लेखनिय बात नहीं बताए हैं।

अभियुक्तों का बयान

08. प्रस्तुत वाद में दिनांक 11.06.2026 को अभियुक्तों का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने–आप को पुनः निर्दोष बताया।

अभियोजन पक्ष का बहस और तर्क

09. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने बहस के क्रम में कहा गया है कि अभियोजन की ओर से कुल पॉच साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें मृत सूचक के बेटे सहित चार अन्य साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मृत सूचक के बेटे एवं जख्मी साक्षी राजेन्द्र चौधरी के अलावा अन्य साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जबकि मृतक सूचक के बेटे एवं जख्मी साक्षी राजेन्द्र चौधरी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया है तथा जख्मी साक्षी राजेन्द्र चौधरी के द्वारा बताया गया है कि घटना के दिन जख्मी हुए थे। जो घटना को साबित करता है। अतः अभियुक्तों को दोषसिद्ध किये जाने की निवेदन करते हैं।

बचाव–पक्ष का बहस और तर्क

10. बचाव–पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से कुल–5 साक्षीगण का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2 एवं 5 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 3 एवं 4 जो क्रमशः प्रस्तुत काण्ड के जख्मी साक्षी एवं मृत सूचक के बेटे हैं, जिसमें साक्षी संख्या 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटनास्थल पर सभी मुदालह बारी–बारी से आये थे। किसके हाथ में कौन हथियार था और कौन किसको मारा यह याद नहीं है। चैन कौन छीना था यह नहीं जानते हैं। सभी मुदालहों को पड़ोसी होने के कारण जानते हैं। यह केश नन्दकिशोर चौधरी किया था, जिसका मृत्यु दो साल पहले हो गई। जब सूचक जीवित था उसी समय इस केश में मेल–मिलाप हो गया था, जिसपर सूचक का हस्ताक्षर है तथा साक्षी संख्या 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरे पिताजी जब जीवित थे उसी समय यह राजीनामा आवेदन दाखिल किया गया था। मैं भाई में अकेला हूँ। अब आगे मैं मुकदमा लड़ना नहीं चाहता हूँ। अतः उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः बचाव पक्ष का निवेदन है कि अभियुक्तों को लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाय।

मंतव्य

11. अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–147, 149, 323, 307, 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिसमें धारा 323 एवं 379 शमनीय प्रकृति का है। सुलहनामा आवेदन पत्र एवं इजाजतनामा दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कर दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में धारा 323 एवं 379 भा0द0वि0 के संदर्भ में सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। धारा 148, 149 एवं 307 भा0द0वि0 अशमनीय प्रकृति का है, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों धाराओं में गुण एवं दोष के आधार पर निर्णय लेना न्यायोचित है। अभियोजन ने इस मामले में पॉच साक्षियों का परीक्षण कराया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1, 2 एवं 5 को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है तथा इन सभी ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस काण्ड के सूचक की मृत्यु हो गई है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 4, सूचक के बेटे विवेक कुमार के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब सूचक जीवित था उसी समय इस केश में मेल–मिलाप हो गया था, जिसपर सूचक का हस्ताक्षर है तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरे पिताजी जब जीवित थे उसी समय यह रा. जीनामा आवेदन दाखिल किया गया था। मैं भाई में अकेला हूॅ। अब आगे मैं मुकदमा लड़ना नहीं चाहता हूॅ। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये धारा–147, 149 एवं 307 भा0द0वि0 के आरोपों को साबित करने में असफल रहे हैं।

12. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मौजूद साक्ष्य, उभय पक्ष के मध्य हुए संधि एवं साक्ष्य के आभाव में न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए अभियुक्तों को उसके विरुद्ध धारा–147, 149, 323, 307, 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्ति पाने का हकदार है।

:आदेशः

अभियुक्तगण यथा 1. अमित कुमार, 2. शिवचन्द्र ठाकुर, 3. विशाल ठाकुर, 4. भोला ठाकुर, 5. प्रदीप ठाकुर एवं 6. मीरा देवी को धारा–323 एवं 379 भा0द0वि0 के आरोपों से सुलह के आधार पर एवं धारा–148, 149 एवं 307 भा0द0वि0 के आरोपों से साक्ष्य के आभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। तद्नुसार उनके और उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार, सुपौल में जमा करें।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धिकृत्य एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

लेखापित

(राकेश कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
13.07.2026

(राकेश कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।
13.07.2026